

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक : F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/-00247/ 7770

जयपुर, दिनांक : 02/01/2024

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 29.12.23 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिये गये विभागीय निर्णय अनुसार निम्नलिखित शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया जाता है। इस संस्थान की ओर से विभाग द्वारा कोई भी नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Sr.No.	Portal ID of Institute	Institute Name & Address
1	32281	GAURAV T T COLLEGE, ,655 SALIGRAMPURA SCHEME ROAD, , , ,TONK ROAD, BILWA, ,Bhawandesar, ,SANGANER, ,JAIPUR, ,302022

इस संस्थान के जिन विद्यार्थियों को जांच समिति द्वारा अपात्र पाया गया है, उन विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाकर विभागीय जिलाधिकारी (छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी) को निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- उक्त संस्थान के आदिनांक तक समस्त स्तरों पर लंबित/होल्ड/विद्हेल्ड/ अप्रूव्ड/सैंक्शन्ड एवं बिल जनरेटेड वाले आवेदन पत्रों को गुणावगुण के आधार पर क्षेत्राधिकारानुसार परीक्षण कर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

RajKaj Ref
5261108



Digitally signed by Jagjeet Singh
Monga
Designation : Director
Date: 2024.01.02 11:57:10 IST
Reason: Approved

2. उक्त संस्थान के प्रकरण में अपात्र विद्यार्थी, संबंधित शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान अथवा संस्थान में छात्रवृत्ति हेतु प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. उक्त संस्थान के प्रकरण में जिन छात्रवृत्ति आवेदनों में जिला कार्यालय द्वारा अनियमित भुगतान कर दिया गया है उनकी तत्काल वसूली करवायी जावे।

(जगजीत सिंह मोंगा)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांक : F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/-00247/7771-83 जयपुर, दिनांक : 02/01/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, समस्त।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक समस्त मुख्यावास।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (आई.टी.) मुख्यावास को भिजवाकर लेख है कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें/प्रावधान करना सुनिश्चित करावें। साथ ही वेबसाईट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्त आदेश अपलोड करावें तथा संबंधित को ई-मेल करवाना सुनिश्चित करें।
8. छात्रवृत्ति प्रशाखा प्रभारी सह सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
9. प्रभारी अधिकारी, प्रचार-प्रसार प्रशाखा, सान्याअवि, कार्यालय हाजा।
10. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रशाखा, मुख्यावास।
11. जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त) को उक्तानुसार पालनार्थ।
12. प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रधान, सम्बंधित शिक्षण संस्थान।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव
Signature valid

RajKaj Ref
5261108

Digitally signed by Jagjeet Singh
Monga
Designation : Director
Date: 2024.01.02 11:57:10 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक : F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJEDI/2023/-00247/ 7784 जयपुर, दिनांक : 02/01/2024

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 29.12.23 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिये गये विभागीय निर्णय अनुसार निम्नलिखित शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया जाता है। इस संस्थान की ओर से विभाग द्वारा कोई भी नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Sr.No.	Portal ID of Institute	Institute Name & Address
1	5155	HADOTI PRIVATE ITI, ,RAWATBHATA ROAD, ,NEAR SUDHA COLLEGE OF NURSING, ,LADPURA, ,DAULATGANJ @ NAYA GAON, ,LADPURA, ,KOTA, ,324010,

इस संस्थान के जिन विद्यार्थियों को जांच समिति द्वारा अपात्र पाया गया है, उन विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाकर विभागीय जिलाधिकारी (छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी) को निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- उक्त संस्थान के आदिनांक तक समस्त स्तरों पर लंबित/होल्ड/विदहेल्ड/ अप्रूव्ड/संक्शन्ड एवं बिल जनरेटेड वाले आवेदन पत्रों को गुणावगुण के आधार पर क्षेत्राधिकारानुसार परीक्षण कर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

RajKaj Ref
5261111



Digitally signed by Jagjeet Singh
Monga
Designation : Director
Date: 2024.01.02 11:57:09 IST
Reason: Approved

2. उक्त संस्थान के प्रकरण में अपात्र विद्यार्थी, संबंधित शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान अथवा संस्थान में छात्रवृत्ति हेतु प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. उक्त संस्थान के प्रकरण में जिन छात्रवृत्ति आवेदनों में जिला कार्यालय द्वारा अनियमित भुगतान कर दिया गया है उनकी तत्काल वसूली करवायी जावे।

(जगजीत सिंह मोंगा)
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/-00247/ 7785-97 जयपुर, दिनांक : 02/01/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, समस्त।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक समस्त मुख्यावास।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (आई.टी.) मुख्यावास को भिजवाकर लेख है कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थाएँ/प्रावधान करना सुनिश्चित करावें। साथ ही वेबसाईट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्त आदेश अपलोड करावें तथा संबंधित को ई-मेल करवाना सुनिश्चित करें।
8. छात्रवृत्ति प्रशाखा प्रभारी सह सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
9. प्रभारी अधिकारी, प्रचार-प्रसार प्रशाखा, सान्याअवि, कार्यालय हाजा।
10. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रशाखा, मुख्यावास।
11. जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त) को उक्तानुसार पालनार्थ।
12. प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रधान, सम्बंधित शिक्षण संस्थान
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
5261111

Digitally signed by Jagjeet Singh
Monga
Designation : Director
Date: 2024.01.02 11:57:09 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक : F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/-00247/ 7798

जयपुर, दिनांक : 02/01/2024

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 29.12.23 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिये गये विभागीय निर्णय अनुसार निम्नलिखित शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया जाता है। इस संस्थान की ओर से विभाग द्वारा कोई भी नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Sr.No.	Portal ID of Institute	Institute Name & Address
1	3438	S P D M PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, ,NANGAL PULIA, ,NANGAL PULIA, ,NANGAL JAISA BOHARA JHOTWARA, , ,JAIPUR, ,JAIPUR, ,302012

इस संस्थान के जिन विद्यार्थियों को जांच समिति द्वारा अपात्र पाया गया है, उन विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाकर विभागीय जिलाधिकारी (छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी) को निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- उक्त संस्थान के आदिनांक तक समस्त स्तरों पर लंबित/होल्ड/विद्हेल्ड/अप्रूव्ड/सेक्शन्ड एवं बिल जनरेटेड वाले आवेदन पत्रों को गुणावगुण के आधार पर क्षेत्राधिकारानुसार परीक्षण कर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।
- उक्त संस्थान के प्रकरण में अपात्र विद्यार्थियों संबंधित शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान अथवा संस्थान के छात्रवृत्ति हेतु प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Jagmeet Singh
Monga
Designation : Director
Date: 2024.01.02 11:57:06 IST
Reason: Approved

3. उक्त संस्थान के प्रकरण में जिन छात्रवृत्ति आवेदनों में जिला कार्यालय द्वारा अनियमित भुगतान कर दिया गया है उनकी तत्काल वसूली करवायी जावे।

(जगजीत सिंह मोंगा)
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/00247/

जयपुर, दिनांक : 02/01/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- 7799-7811

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, समस्त।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक समस्त मुख्यावास।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (आई.टी.) मुख्यावास को भिजवाकर लेख है कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें/प्रावधान करना सुनिश्चित करावें। साथ ही वेबसाईट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्त आदेश अपलोड करावें तथा संबंधित को ई-मेल करवाना सुनिश्चित करें।
8. छात्रवृत्ति प्रशाखा प्रभारी सह सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
9. प्रभारी अधिकारी, प्रचार-प्रसार प्रशाखा, सान्याअवि, कार्यालय हाजा।
10. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रशाखा, मुख्यावास।
1. जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त) को उक्तानुसार पालनार्थ।
2. प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रधान, सम्बंधित शिक्षण संस्थान
3. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5261114

Digitally signed by Jagjeet Singh
Monga
Designation : Director
Date: 2024.01.02 11:57:06 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांक : F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/-00247/ 7812

जयपुर, दिनांक : 02/01/2024

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 7646 दिनांक 12.12.2023 द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 29.12.23 में दर्शाये गये छात्रवृत्ति संबंधी गंभीर अनियमितता के तथ्यों एवं जांच समिति की अभिशंषा के आधार पर लिये गये विभागीय निर्णय अनुसार निम्नलिखित शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट एवं डिबार किया जाता है। इस संस्थान की ओर से विभाग द्वारा कोई भी नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Sr.No.	Portal ID of Institute	Institute Name & Address
1	14254	SWAMI VIVEKANAND TEACHER TRAINING COLLEGE, ,MAA SARASWATI CAMPUS,GOTHARA, BASSI, ,PATAN ROAD, ,PATAN ROAD, ,GOTHARA, ,BASSI, ,JAIPUR, ,303305

इस संस्थान के जिन विद्यार्थियों को जांच समिति द्वारा अपात्र पाया गया है, उन विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाकर विभागीय जिलाधिकारी (छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी) को निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- उक्त संस्थान के आदिनांक तक समस्त स्तरों पर लंबित/होल्ड/विद्हेल्ड/ अप्रूव्ड/सैंकशन्ड एवं बिल जनरेटेड वाले आवेदन पत्रों को गुणावगुण के आधार पर क्षेत्राधिकारानुसार परीक्षण कर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

RajKaj Ref
5261115



Digitally signed by Jagjeet Singh
Monga
Designation : Director
Date: 2024.01.02 11:57:04 IST
Reason: Approved

2. उक्त संस्थान के प्रकरण में अपात्र विद्यार्थी, संबंधित शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान अथवा संस्थान में छात्रवृत्ति हेतु प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. उक्त संस्थान के प्रकरण में जिन छात्रवृत्ति आवेदनों में जिला कार्यालय द्वारा अनियमित भुगतान कर दिया गया है उनकी तत्काल वसूली करवायी जावे।

(जगजीत सिंह मोंगा)
निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F9(4)SCHOLARSHIP/BLACKLIST-DEBAR PRAKARAN/SJED/2023/-00247/

जयपुर, दिनांक : 02/01/2024

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है— 7813-25

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, समस्त।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक समस्त मुख्यावास।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (आई.टी.) मुख्यावास को भिजवाकर लेख है कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें/प्रावधान करना सुनिश्चित करावें। साथ ही वेबसाईट एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर उक्त आदेश अपलोड करावें तथा संबंधित को ई-मेल करवाना सुनिश्चित करें।
8. छात्रवृत्ति प्रशाखा प्रभारी सह सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
9. प्रभारी अधिकारी, प्रचार-प्रसार प्रशाखा, सान्याअवि, कार्यालय हाजा।
10. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रशाखा, मुख्यावास।
11. जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त) को उक्तानुसार पालनार्थ।
12. प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रधान, सम्बंधित शिक्षण संस्थान
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव
Signature valid

RajKaj Ref
5261115

Digitally signed by Jagjeet Singh
Monga
Designation : Director
Date: 2024.01.02 11:57:04 IST
Reason: Approved